नगर परिषद् दानापुर निजामत

तकियापर, दीघा, दानापुर
Email– nagarparishaddanapur@gmail.com

पत्रांक................................/ दिनांक........................

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद दानापुर **निजामत**

सेवा में,

उप लेखा नियंत्रक अनुपालन,
स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय,
वित्त अंकेक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय- अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-DLFA-101/16-17 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषण के संबंध में।

प्रसंगः- भवदीय पत्रांक 76 दिनांक 08.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के अनुपालन में अंकेक्षण प्रकतवेदन सं0-DLFA-101/16-17 के आपत्ति कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य को संलग्न करते हुए प्रेषित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि इसकी प्राप्ति स्वीकार करते हुए अनुपालन के आलोक में आपत्ति कंडिकाओं को निरस्त करने की कृपा की जाय।

अनु0

.... पृष्ट।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक 2053 / दिनांक 25/09/18

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति के साथ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0

37 (सैंतीस) पृष्ट।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद दानापुर निजामत

नगर परिषद् दानापुर निजामत

तकियापर, दीघा, दानापुर

Email- nagarparishaddanapur@gmail.com

पत्रांक................................/दिनांक.......................

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर परिषद दानापुर **निजामत**

सेवा में,

उप लेखा नियंत्रक अनुपालन,

स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय,

वित्त अंकेक्षण विभाग,

बिहार, पटना।

विषय- अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-DLFA-101/16-17 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषण के संबंध में।

प्रसंगः- भवदीय पत्रांक 76 दिनांक 08.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के अनुपालन में अंकेक्षण प्रकतवेदन सं0-DLFA-101/16-17 के आपत्ति कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य को संलग्न करते हुए प्रेषित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि इसकी प्राप्ति स्वीकार करते हुए अनुपालन के आलोक में आपत्ति कंडिकाओं को निरस्त करने की कृपा की जाय।

अनु0

.... पृष्ट।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक..................../दिनांक..................

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति के साथ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0

.... पृष्ट।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर परिषद दानापुर निजामत

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-DLFA-101/16-17 का अनुपालन प्रतिवेदन

(स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय वित अंकेक्षण विभाग)

क्र0 सं0	कंडिका सं0-	कंडिका का संक्षिप्त विवरण	अनुपालन	अभियुक्ति
1	1 से 4	परिचयात्मक	अनुपालन आवश्यक नहीं।	
2	5	योजनाओं की भौतिक स्थिति	योजनाओं से संबंधित योजनापंजी कार्यालय में उपलब्ध है। अगले अंकेक्षण दल / अनुपालन दल को दिखा दिया जायेगा।	
3	6 से 8	परिचयात्मक	अनुपालन आवश्यक नहीं।	
4	9 (I)	रोकड़ वही पर टिप्पणी	अंकेक्षण के सुझाव के अनुसार Inoperative खातों की राशि को रोकड़ में शामिल कर रोकड़ पुस्त में सुधार कर लिया गया है। भविष्य में इसकी पुनारावृति नहीं होगी। ऐसा निदेश लेखा शाखा को दे दिया गया है। रोकड़ पुस्त की छायाप्रति एवं उससे संबंधित विवरण अनुपालन प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।	
	(II)	वित्तीय वर्ष 2014-15 तक मोबाईल टॉवर का बकाया रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं नवीकरण शुल्क रू0 9985200/- वसूली योग्य	मोबाईल टॉवर की बकाया रजिस्ट्रेशन एवं नवीकरण शुल्क के बकाया वसूली की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अधिष्ठापित मोबाईल टॉवरो पर अतिरिक्त अधिष्ठापित एंटिना का सर्वे कराया जा रहा हैं । एक से अधिक अधिष्ठापित एंटिना का पता लगने की स्थिति में निर्धारित दर से मोबाईल कंपनी से वसूली की कारवाई की जायेगी।	
5	10	वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर परिषद अन्तर्गत लगाये गये होडिंग विज्ञापन से संबंधित विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में।	वर्ष 2014-15 तक लगाये गये होर्डिंग विज्ञापन का सर्वे जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार कराया गया तथा वैसे होर्डिंग विज्ञापन अवैध थे या जिसका नवीकरण नहीं किया गया था एसे अभियान के तहत हटा दिया गया तथा अवैध रूप से होर्डिंग विज्ञापन लगाने वालों पर एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया	

			(परिशिष्ट (ख) पर दृष्टव्य)। पूर्व से पंजीकृत या नये पंजीकृत होर्डिंग विज्ञापन लगाने वालों से रू0 13,97,120/- की वसूली की गई तद पश्चात् पथ निर्माण विभाग द्वारा उनपर अपना दावा पेश करते हुए सभी विज्ञापनदाताओं को बीना उसकी अनुमति के विज्ञापन लगाने पर रोक लगा दिया गया फलस्वरूप परिशिष्ट "ग" में अंकित राशि के पश्चात् राशि की वसूली नहीं की गई और न तो उसका नवीकरण ही किया गया। विज्ञापनदाताओं को पथ निर्माण विभाग द्वारा दिये गये पत्र की प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के परिशिष्ट "घ" पर संलग्न कर दिया गया है। उक्त से संबंधित पथ निर्माण विभाग को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के पत्रांक 1814 दिनांक 02.11.2017 द्वारा पत्र भी निर्गत किया गया तथा उसकी प्रतिलिपि नगर विकास एवं आवास विभाग को भी दिया गया (परिशिष्ट "ङ" पर संलग्न)। परन्तु न तो पथ निर्माण विभाग द्वारा कोई प्रत्युत्तर दिया गया और न ही नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कोई आदेश ही प्राप्त हुआ है। अतः उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए इस आपत्ति कंडिका को निरस्त करने की कृपा की जाय।	
	11	मुद्रांक शुल्क के रूप में रू0 102162/- की राजस्व की क्षति वसूली योग्य	जानकारी के अभाव में बदोबस्ती का एकरारनामा कुल राशि के तीन प्रतिशत राशि के स्टाम्प पेपर पर नहीं किया गया था। वर्ष 2015-16 में अंकेक्षण आपत्ति के अनुरूप तीन प्रतिशत राशि के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया गया। जिसे कार्यादेश के शर्तो में भी शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2015-16 के कार्यादेश एवं एकरारनामा की छायाप्रति अनुपालन प्रतिवेदन परिशिष्ट "च" पर संलग्न कर दिया गया है। वर्ष 2016-17 से सरकार द्वारा सड़कों के किनारे लगने वाले दुकानों को हटा दिया गया था। अतः अब बदोबस्ती का प्रश्न ही नहीं है। चूकि पूर्व में बीना स्टाम्प पेपर के की गई बदोबस्ती का मामला पुराना है जिसे नये सिरे से करना सम्भव नहीं है। वर्ष	

			2015-16 में अंकेक्षण आपत्ति के अनुरूप बदोबस्ती तीन प्रतिशत स्टाम्प पेपर पर की गई है तथा वर्ष 2016-17 से बंदोबस्ती सरकार के आदेश से नहीं हो रही है। अतः इस आपत्ति को निरस्त करने की कृपा की जाय।	
	12	खतरनाक व्यवसाय से संबंधित वार्षिक शुल्क वर्ष 2014-15 तक बकाया रू0 947660/- वसूली योग्य	खतरनाक एवं भयावह व्यवसाय शुल्क के मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नये सिरे से कराया जा रहा है तथा इस तरह का व्यवसाय का सर्वे भी कराया जा रहा है। पूर्व के खतरनाक व्यवसाय करने वालों से बकाया लाईसेंस फीस एवं वार्षिक शुल्क वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा नोटिस निर्गत किये गये परन्तु अधिकतर नोटिस बिना तामिला के वापस प्राप्त हो गये कारण कि ऐसे व्यवसाय करने वाले अधिकतर कुछ समय के लिए व्यवसाय करते है और नगर परिषद द्वारा लाईसेंस का दबाव बनाने पर या तो वे अपना व्यवसाय बन्द कर देते है या अन्यत्र चले जाते है। फलतः बकाया राशि की वसूली में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। फिर भी वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे है। वसूली होते ही सूचना स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय वित्त अंकेक्षण विभाग, बिहार, पटना को भेज दी जायेगी।	
	13	नगर परिषद दानापुर के अधीन संचालित दुकानों का बकाया किराया रू0 267142/- वसूली योग्य	नगर परिषद दानापुर निजामत के अधीन संचालित दुकानों के आपत्तिग्रस्त बकाया किराया की वसूली कर ली गई है। जिसे अनुपालन प्रतिवेदन के परिशिष्ट **"छ"** पर संलग्न कर दिया गया है। अतः इस आपत्ति कंडिका को निरस्त करने की कृपा की जाय।	
	14	भवनों का नक्शा पारित करते समय श्रम सेस की कटौति नहीं की गई राशि रू0 101555249/- वसूली योग्य	नक्शा पारित करने हेतु जो परर्फोमा विभाग के द्वारा दिया गया है उसमें कोई कॉलम लेबरसेस की हेतु नहीं दिया गया है। परर्फोमा की प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के परिशिष्ट **"ज़"** पर संलग्न कर दिया गया है। साथ ही नक्शा पारित करने हेतु Modified Building Bye Laws में कही भी यह प्रावधान नहीं	

			किया गया है कि नक्शा पारित करने के पूर्व श्रम शेष की वसूली करनी है या वास्तु विद द्वारा वसूली संबंधि विवरण देखने के पश्चात ही नक्शा पारित करना है जैसा कि Building Permit एवं Development Permit fee लेने का प्रावधान किया गया है। श्रम सेस की वसूली या वास्तुविद के द्वारा वसूली करने से संबंधित कोई विभागीय निर्देश भी प्राप्त नहीं है। विभागीय निर्देश के अभाव में नक्शा पारित करते समय वसूली करना संभव नहीं है। इस संबंध में नगर परिषद दानापुर के पत्रांक 554 दिनांक 03.04.17 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग से दिशा-निर्देश की मॉग की गई थी। परन्तु अभी तक कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। पुनः नगर परिषद के पत्रांक 1936 दिनांक 23.11.2017 द्वारा स्मारित करते हुए दिशा-निर्देश की मॉग की गई है। दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् उसके अनुरूप कारवाई की जायेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजे गये पत्र की छायाप्रति प्रतिवेदन के परिशिष्ट **"झ"** पर संलग्न । अतः आदेश के अभाव में श्रम शेष की वसूली नहीं की गई है। अतः इस कंडिका का विलोपित करने की कृपा की जाय।	
	15	भवनों के नक्शा स्वीकृति के समय डेवलपमेन्ट परमिट शुल्क नहीं लेने के कारण रू0 273000/- की क्षति वसूलनीय	नक्शा पारित करते समय बिहार अनुज्ञा शुल्क बिहार भवन उपविधि 2014 की कंडिका 7 में भवन कार्य या विकास करने की अनुज्ञा के लिए 7(2) में विकास परमिट फीस तथा कंडिका 7(3) भवन परमिट फीस लेने का प्रावधान किया गया है। **कंडिका-7** से यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि किस नक्शे को पारित करने के लिए विकास परमिट फीस तथा किसके लिए भवन परमिट फीस देय है तथा किस नक्शे को पारित करने के लिए दोनों देय है। नगर आयुक्त, मुजफरपुर क्षेत्रिय विकास प्राधिकार (विघटित) मुजफरपुर नगर निगम मुजफरपुर द्वारा इस विन्दु पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से दिशा निर्देश	

की माँग की गई थी। उसके जवाब में प्रधान सचिव नगर एवं आवास विभाग द्वारा पत्रांक 324 दिनांक 01.06.2015 द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिये गये हैं। जिसकी कंडिका-1 का अवलोकन किया जा सकता है। (पत्र की प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ञ" पर संलग्न)

कंडिका -1

विकास अनुज्ञा शुल्क बिहार भवन उपविधि 2014 की कंडिका 7(2) में विकास अनुज्ञा शुल्क लिए जाने का प्रावधान है। यह शुल्क निम्नलिखित पर लागू होगा :-

1. भूमि का विकास/भूमि का Layout पर विकास अनुज्ञा शुल्क देय होगा।
2. जिस परिसर में एक से अधिक भवन का निर्माण हो रहा है, उस परिसर का भूमि विकास शुल्क भवन अनुज्ञा शुल्क के अतिरिक्त होगा।

उपरोक्त दिशा निदेश से स्पष्ट होता है कि भवन अनुज्ञा शुल्क सभी नक्शे पारित करने के लिए देय है जबकि विकास अनुज्ञा शुल्क केवल उन बड़े भूभागों के लिए देय है जिसके एक परिसर में एक से अधिक भवन का निर्माण हो रहा है तथा उसके अन्दर रोड नाला पार्क आदि को विकसित करना है। परन्तु यहाँ जो नक्शे पारित किये गये है उसमें ऐसा एक भी मामला नहीं है। फलतः विकास अनुज्ञा शुल्क नहीं लिया गया है। फिर भी नगर परिषद दानापुर का पत्रांक 554 दिनांक 03.04.2017 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग से दिशा निर्देश की मॉग की गई थी। परन्तु अभी तक दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। पुनः नगर परिषद दानापुर के पत्रांक 1936 दिनांक 23.11.2017 द्वारा स्मारित किया गया है। दिशा निर्देश प्राप्त होने पर उसके अनुरूप कारवाई की जायेगी। नगर विकास एंव अवास विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन के परिशिष्ट [illegible] पर संलग्न कर दिया गया है।

	16	अग्रिम रू0 2096159.98/- एक लम्बे समय से समायोजन हेतु लंम्बित	समायोजन की कार्यवाई की जा रही है समायोजन होते ही सूचना स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय वित्त अंकेक्षण विभाग को दे दी जायेगी।	
	17	ट्रैक्टर खरिद में मानक से कम सुरक्षित जमा की कटौती किये बिना भुगतान नहीं किये जाने का सुझाव।	1. यद्यपि बिहार वित नियमावली के नियम 2005 के नियम 129 के अन्तर्गत में नामित राज्य क्रय संगठन से ट्रैक्टर की खरीद नहीं की गई है परन्तु इसी नियमावली के नियम 131 (ग) के अन्तर्गत सभी प्रकिया का पालन करते हुए निविदा के आधार पर ट्रैक्टर की खरीद पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए नगर परिषद की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में किया गया। अतः इस आपति को निरस्त किया जा सकता है 2. जानकारी के अभाव में Performance security के रूप में गारन्टी अवधि में Security deposit के रूप में आय 25000 ही लिया गया था जबकि कम से कम 5% राशि रू0 98,400 लेना चाहिये था। इसमें नगर परिषद का उद्देश्य आपूर्तिकर्ता को लाभ पहुँचाना नहीं था। अंकेक्षण के सुझाव के आलोक में अब खरीद पर गारन्टी अवधि तक 5-10% की राशि वसूल की जा रही है। अतः इस आपति को निरस्त करने की कृपा की जाय।	

	18	मकान कर के रूप में वर्ष 2013-14 के पूर्व का बकाया रू0 11825707.78/- वसूली योग्य	अंकेक्षण के सुझाव के आलोक में वसूली का प्रतिशत बढाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 से होल्डींग की वसूली हेतु नयी प्रक्रिया स्वः करारोपन (Self Asscement) के तहत होल्डींगधारकों द्वारा कार्यालय में या आनलाईन भुगतान किया जा रहा है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया हैं जिसमें बकया राशि की वसूली निरन्तर की जा रही है और बकाया को कम करने का प्रयास किया जा रहा है जो 2015-16 से 2016-17 मई तक की विवरणी से स्पष्ट है। (परिशिष्ट "[illegible]" पर दृष्टव्य) अतः उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए आपत्ति को निरस्त करने की कृपा किया जाय।	
	19	संवेदकों द्वारा बिना **M** और **N** फारम में सर्टिफिकेट प्राप्त किये ही ढुलाई चार्ज का भुगतान रू0 5607330/- आपति अन्तर्गत	नगर परिषद अन्तर्गत कार्य योजना कार्य निविदा के आधार पर चयनित संवेदको द्वारा किया जाता है। इसके लिए योजना कार्य निष्पादन के पश्चात अभियंता द्वारा दिये गये मापी पुस्त के आधार पर भुगतान किया जाता है, जिसमें संवेदको से किसी तरह का अभिश्रव प्राप्त नहीं किया जाता है ऐसी स्थिति में **एम** और **एन** सर्टिफिकेट संवेदको द्वारा नहीं किया जाता है। **एम** और **एन** सर्टिफिकेट की आवश्यक्ता विभागीय स्तर पर कराये गये योजना कार्यो के लिए होता है जहॉ अभिश्रव एवं **एम** और **एन** सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है, फिर भी अंकेक्षण के सुझाव के आलोक में भविष्य में होने वाले योजना कार्यो के लिए **एम** और **एन** सर्टिफिकेट संवेदको से प्राप्त किया जायेगा। अतः इस आपति को निरस्त करने की कृपा किया जाय।	
	20	अंकेक्षण का सुझाव		
		1. दिनांक 31.03.2015 के संवरण शेष के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुछ अवशेष राशियॉ	अंकेक्षण के सुझाव के अनुरूप अव्यवरित राशियॉ संबंधित ऐजेन्सी को वापस कर दिया गया है।	

		अनावश्यक रूप सक रोकड़ के .... वापस कर दिया जाय।		
		2. मॉग एवं प्राप्ति पंजी का संधारण........... .... आकलन किया जा सके।	अंकेक्षण के सुझाव के अनुरूप मॉग एवं प्राप्ति पंजी का संधारण किया जा रहा है।	
		3. राजस्व प्राप्ति .... लाया जाय।	अंकेक्षण के सुझाव के अनुरूप राजस्व प्राप्ति की गति को तेज किया गया है।	
		4. खतरनाक व्यवसाय......................... कार्रवाई की जाय।	अंकेक्षण के सुझाव के अनुरूप खतरनाक व्यवसाय के संबंधित शुल्क का सर्वे कराकर वसूली की कार्रवाई की जा रही है।	
		5. मोबाईल टॉवर का.......................... . एंटिना लगाये गये है।	अंकेक्षण के सुझाव के अनुरूप मोबाईल टॉवर का सर्वे कराया जा रहा है तथा विशेष रूप से अतिरिक्त एंटिना की जॉच की अधिष्ठापन की जॉच की जा रही है।	
		6. होर्डिंग, वैनर, शुल्क .... नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।	अंकेक्षण के सुझाव के अनुरूप होर्डिंग, वैनर, शुल्क की वसूली हेतु सर्वे कराया जा रहा है तथा अवैध होर्डिंग पर नियमानुकूल कार्रवाई की जा रही है।	
	21	अंकेक्षण का क्षेत्र		
		1. उपलब्ध अभिलेख	अनुपालन आवश्यक नहीं	
		2. अनुपलब्ध अभिलेख	अनुपलब्ध अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध है। अगले अंकेक्षण / अनुपालन दल को दिखा दिया जायेगा।	

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद दानापुर निजामत